राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ.15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2018/209321-667 जयपुर दिनांकः 11-12-18

1. समस्त उप निदेशक,
   मबावि, ...
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   आईसीडीएस, ...
3. समस्त प्रभारी अधिकारी,
   मुख्यालय ....

विषयः— लाईट्स सॉफ्टवेयर में अपडेशन/अपलोड आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम/रिव्यू बाबत।
प्रसंगः— प्रशिक्षण कार्यक्रम पत्रांक 199516—862 दिनांक 19.11.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालयों में लम्बित प्रकरणों का इन्द्राज लाईट्स में आप द्वारा समय—समय पर अपडेशन/अपलोड आदि नहीं किया जाता है, जिसके संदर्भ में दिनांक 17.12.2018 से 28.01.2019 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। न्यायिक प्रकरणों के संबंध में हर माह वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, मबावि, जयपुर द्वारा प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक रखी जाती है, जिसके संबंध में आपको समय—समय पर निर्देशित किया हुआ है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम/रिव्यू हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर निदेशालय के मीटिंग हॉल में आवश्यक रूप से निम्न बिन्दुओं के संबंध में सूचना/बैठक की तिथी से पूर्व अपडेशन आदि की कार्यवाही पूर्ण करवाकर बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करावें—

1. 10 वर्ष से 20 वर्ष व 20 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरण।
2. अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों की सूचना।
3. निर्णित प्रकरणों में पालना से शेष प्रकरणों की सूचना।
4. जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों की सूचना।
5. अपील करने से शेष प्रकरणों की सूचना।
6. रिट/वाद/अपील के अलावा प्रकरणों की आगामी प्रगति यथा तथ्यात्मक रिपोर्ट, जवाबदावा, अन्य दस्तावेजात व निर्णय की प्रतियां न्याय विभाग की वेबसाईटस पर अपलोड करना।
7. ड्यू कोर्स में लम्बित प्रकरणों में वांछित कार्यवाही व प्रकरणों की आगामी तारिख पेशी आदि को अपडेट करने बाबत।
8. मासिक सूचना का इन्द्राज बाबत।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2018/209368-671 जयपुर दिनांकः 11-12-18

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स, मबावि, जयपुर।
4. ए.सी.पी. (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर